



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) (4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ-226001)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार के उपक्रम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, द्वारा दू-अप वर्ष 2020-21, ए०पी०आर० वर्ष 2021-22 एवं सकल राजस्व आवश्यकता वर्ष 2022-23 की याचिका दिनांक 08.03.2022 को मा० आयोग में प्रस्तुत की गई थी।

मा० आयोग ने अपने आदेश दिनांक 21.04.2022 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली है। मा० आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य अंश उपभोक्ताओं, स्टैकहोल्डर्स एवं आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 दू-अप	वित्तीय वर्ष 2021-22 ए०पी०आर०	वित्तीय वर्ष 2022-23 ए०आर०आर०
1	वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)	23,520.99	25,473.97	25,399.49
2	ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)	18,765.24	20,586.03	21,027.82
3	अनुमोदित वितरण लाईन हानियाँ (%)	11.51%	11.04%	10.63%
	वास्तविक / प्रस्तावित वितरण लाईन हानियाँ (%)	20.22%	19.19%	17.21%
4	इन्ट्रा स्टेट पारेषण हानियाँ (%)	3.37%	3.33%	3.27%
	व्यय (रु० करोड़)			
5	ऊर्जा क्रय मूल्य (पी०जी०सी०आई०एल० सम्मिलित)	12,878.18	11,810.85	12,242.17
6	ट्रांसमिशन चार्ज (यू०पी०पी०टी०सी०एल०)	643.11	616.72	614.92
7	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (नेट ऑफ कैपिटलाईजेशन)	1,428.54	1,452.98	1,429.44
8	ब्याज एवं वित्त प्रभाव (नेट ऑफ कैपिटलाईजेशन)	654.84	812.49	899.64
9	हास	614.13	765.21	907.07
10	बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स	121.61	252.70	260.24
11	सकल खर्च	16,340.42	15,710.96	16,353.49
12	रिटर्न ऑन इक्विटी	420.49	562.55	684.00
13	घटायें: अन्य आय	268.86	38.06	38.06
14	घटायें: ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं से राजस्व	-	-	-
15	सकल राजस्व आवश्यकता	16,492.06	16,235.45	16,999.42
16	टैरिफ से प्राप्त राजस्व	12,668.47	12,635.00	13,012.08
17	राजकीय सहायिकी	1,345.00	2,790.21	2,585.29
18	राजस्व (अन्तर) / अतिरिक्त (वर्तमान टैरिफ पर)	(2,478.58)	(810.23)	(1,402.05)
19	ऊर्जा क्रय दर (वितरण निगम की परिधि पर) (रु० / यूनिट)	5.48	4.64	4.82
20	औसत विद्युत ऊर्जा क्रय दर (बी०एस०टी०) (रु० / यूनिट)		4.97	5.32
21	डी०बी०एस०टी० दर (रु० / यूनिट)		4.64	4.82
22	औसत विद्युत दर (शासकीय सहायिकी छोड़कर) (रु० / यूनिट)	6.75	6.14	6.19
23	औसत विद्युत लागत (रु० / यूनिट)	8.79	7.89	8.08
24	क्लीरिंग चार्ज (रु० / यूनिट)			1.29
25	क्रॉस सब्सिडी-सरचार्ज वर्ष 2022-23 (रु० प्रति यूनिट)			
a.	एच०वी०-1 (आपूर्ति 11 के०वी० पर)			2.05
b.	एच०वी०-1 (आपूर्ति 11 के०वी० से अधिक)			3.04
c.	एच०वी०-2 (आपूर्ति 11 के०वी० तक)			1.96
d.	एच०वी०-2 (आपूर्ति 11 के०वी० एवं 66 के०वी० तक)			1.33
e.	एच०वी०-2 (आपूर्ति 66 के०वी० से अधिक एवं 132 के०वी० तक)			1.58
f.	एच०वी०-2 (132 के०वी० से अधिक)			0.73
g.	एच०वी०-3 (132 के०वी० पर तथा अधिक)			2.17
h.	एच०वी०-3 (मेट्रो ट्रैक्शन के लिये)			1.79
i.	एच०वी०-4 (आपूर्ति 11 के०वी० पर)			1.73
j.	एच०वी०-4 (आपूर्ति 11 के०वी० से अधिक 66 के०वी० तक)			1.85

लाइसेन्सी द्वारा मा० आयोग से उ०प्र० शासन के पत्रांक 445 / 24.1.21 / 731 (बजट) / 2020 दिनांक 05.03.2021 के आधार पर वर्ष 2020-21 के दू-अप एवं वर्ष 2022-23 की ए०आर०आर० को अनुमोदित करते समय पूर्व डिस्एलॉअन्स के विरुद्ध उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। मा० आयोग से सरलीकृत उपभोक्ता श्रेणी / उपश्रेणी / स्लैब के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण करने तथा उ०प्र० शासन द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी / उपश्रेणी / स्लैब हेतु सूचित की जाने वाली शासकीय सहायिकी को पृथक् रूप से अंकित करने का अनुरोध किया गया है। शासकीय सहायिकी रहित रेट-शिड्यूल प्रस्ताव हेतु विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मध्य क्रॉस सब्सिडी की आवश्यकता है तथा मा० आयोग द्वारा क्रॉस सब्सिडी का रोड-मैप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। मा० आयोग से प्रस्तावित ग्रीन टैरिफ के अनुमोदन का भी अनुरोध किया गया है।

दू-अप, ए०पी०आर० एवं ए०आर०आर० याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसियेन्सी नोट के प्रत्युत्तर एवं कार्यवृत्त दिनांक 18.04.2022 के साथ, निगम की वेबसाइट (www.mvvn.in) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टैक-होल्डर, आम जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञापिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियाँ प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ-226001 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक - 100 / मविदिनि.लि. / जन.स.

दिनांक - 23.04.2022

राष्ट्रहित में बिजली बचायें